

फैक्स
एवं
ई-मेल

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-23/2017....33.../जे0, पटना, दिनांक ...29/01/18
सेवा में,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पटना ।

विषय:- मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-105-सिविल और सेशन न्यायालय,
उपशीर्ष-0001-सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत विद्युत प्रभार एवं विधि प्रभार
विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से व्यय हेतु निम्नप्रकार
कुल-20,20,000/- (बीस लाख बीस हजार) रुपये का अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति

।। आवंटित राशि का ब्यौरा ।।

क्र0सं0	विषयशीर्ष	आवंटन की राशि (रुपये में)
1.	13.04-विद्युत प्रभार	20,00,000/- (बीस लाख)
2.	13.05-विधि प्रभार	20,000/- (बीस हजार)
		कुल-20,20,000/- (बीस लाख बीस हजार) रुपये

प्रसंग:- आपका पत्रांक-20/नजारत, दिनांक-11.01.2018

आदेश:- स्वीकृत।

- व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन-लघुशीर्ष-105-सिविल और सेशन न्यायालय, उप
शीर्ष-0001-सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत विद्युत प्रभार एवं विधि प्रभार विषयशीर्ष में वित्तीय
वर्ष 2017-18 में होगा।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि0(2), दिनांक-17.4.1998 में दिये गये
निर्देश के आलोक में दिया जाता है।
- वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-428/वि0, दिनांक-31.03.2017 के आलोक में उपबंधित राशि को
नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- कृपया मासिक व्यय विवरणी शीघ्र भेजा जाय। लेखा सत्यापन हेतु ससमय विहित प्रपत्र में व्यय
प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।
- इस शीर्ष की माँग संख्या-27 एवं विपत्र कोड-27-2014001050001 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सुप्रीम
29/01/18

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-23/2017....33.../जे0, पटना, दिनांक 29/01/18

प्रतिलिपि:-जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

सुप्रीम
29/01/18

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-23/2017....33.../जे0, पटना, दिनांक 29/01/18

प्रतिलिपि:-प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
अग्रसारित।

सुप्रीम
29/01/18

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-23/2017....33.../जे0, पटना, दिनांक 29/01/18

प्रतिलिपि:-विभागीय आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु अग्रसारित।

सुप्रीम
29/01/18

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

29/01/18